2026:AHC-LKO:8945

ए.एफ.आर.

दिनांक 15.11.2025 को सुरक्षित

दिनांक 05.02.2026 को प्रदत्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

अंतर्गत धारा 482 आवेदन संख्या -9472 सन् 2025

नितेश रस्तोगी ..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव गृह लखनऊ एवं 2 अन्य के माध्यम से .....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) की ओर से अधिवक्ता : अमित जायसवील ओजुस लॉ, अंबरीश सिंह यादव

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, दुर्गेश कुमार शुक्ला, पं. एस.चन्द्रा, अरविंद के. त्रिपाठी, एजीए-I

न्यायालय संख्या - 30

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

1.वर्तमान प्रार्थना पत्र धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दिनांक 10.10.2025 के आक्षेपित स्थानांतरण आदेश को निरस्त किए जाने हेतु दायर किया गया है, जिसके द्वारा आपराधिक वाद संख्या 6148 सन् 2022 (राज्य बनाम बिजेन्द्र पाल सिंह एवं अन्य) का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम (ए.टी.एस.), लखनऊ के न्यायालय से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, लखनऊ के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. संक्षेप में, विपक्षी संख्या-2 बिजेन्द्र पाल सिंह एवं विपक्षी संख्या-3 राजीव सिंह के विरुद्ध लगभग ₹3,20,00,000/- मूल्य के स्वर्णाभूषणों के कपटपूर्ण गबन के आरोप में दिनांक 02.09.2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसे मुकदमा अपराध संख्या 219 सन् 2021 के रूप में धारा 406, 419, 420, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत पंजीकृत किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

गया तथा विवेचना के दौरान धारा 170, 467, 468, 471 एवं 411 भारतीय दण्ड संहिता जोड़ी गईं। दिनांक 03.09.2021 को पुलिस ने विपक्षी संख्या-3 राजीव सिंह को गिरफ्तार किया तथा सूचनाकर्ता फर्म मेसर्स मोहन श्याम कल्याण दास ज्वैलर्स (एम.जे.के.) से संबंधित 5 किलोग्राम 743 ग्राम 90 मिलीग्राम स्वर्णाभूषण तथा एक जाली पहचान पत्र, जिसमें स्वयं को आईपीएस अधिकारी दर्शाया गया था, बरामद किया। जब्त स्वर्णाभूषण दिनांक 05.10.2021 को सूचनाकर्ता के पक्ष में सुपुर्द कर दिए गए। इसके पश्चात विपक्षी संख्या-3 द्वारा उक्त सुपुर्दगी आदेश को वापस लिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिन्हें दिनांक 29.01.2022 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेशों के विरुद्ध उसने इस न्यायालय में अंतर्गत धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रार्थना पत्र संख्या 1667 सन् 2022 प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 05.10.2021 तथा 29.01.2022 के आदेशों को चुनौती दी गई। इसी बीच पुलिस द्वारा दिनांक 22.01.2022 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2022 को अपराध का संज्ञान लिया गया।

3. उपरोक्त कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, विपक्षी संख्या-2 एवं 3 द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (ए.टी.एस.), लखनऊ के न्यायालय से वाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्वान सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात विपक्षी संख्या-3 द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे आंशिक रूप से अभियुक्तगण के पक्ष में स्वीकार किया गया तथा आवेदक से आभूषण वापस लेकर उन्हें पुलिस थाना मालखाना में जमा किए जाने का निर्देश दिया गया। इसके उपरान्त विपक्षी संख्या-2 एवं 3 द्वारा पुनः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के समक्ष एक अन्य स्थानांतरण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया।विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (ए.टी.एस.), लखनऊ से, जहाँ आपराधिक वाद संख्या 6148 सन् 2022 का विचारण लंबित था, एक प्रतिवेदन तलब किया। दिनांक अक्टूबर 9, 2025 को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (ए.टी.एस.), लखनऊ ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरान्त, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक 10.10.2025 को आदेश पारित किया, जिसके द्वारा उक्त आपराधिक वाद का विचारण स्थानांतरित कर दिया गया।

आवेदक की ओर से प्रस्तुति

4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादों को एक न्यायिक मजिस्ट्रेट से दूसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने की शक्ति केवल सत्र न्यायाधीश में निहित है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 408 (जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 448 के समतुल्य है) विशेष रूप से किसी इच्छुक पक्षकार के अनुरोध पर आपराधिक वादों के स्थानांतरण से संबंधित है। उक्त प्रावधान, ऐसी शक्ति केवल सत्र न्यायाधीश को प्रदान करता है तथा विधि के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई समतुल्य स्थानांतरण शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पर विचार करके तथा उसे स्वीकार करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। परिणामस्वरूप विवादित आदेश पूर्णतः अवैध तथा विधि की दृष्टि में अव्यवहार्य है। आवेदक ने इन मामलों के फैसलों का हवाला दिया: **राधेश्याम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1984 एससीसी ऑनलाइन इला. 365, सुदेश छिकारा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) और अन्य** 2025 एससीसी ऑनलाइन देल. 1641, **चंद्रकांतभाई भाईचंदहारी शर्मा बनाम गुजरात राज्य** 2015 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2891, **ए. के. सिंह, स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम वीरेंद्र कुमार जैन, एडवोकेट,** 1999 एससीसी ऑनलाइन एमपी 357, **मेसर्स रेडिकल वर्क्स प्रा. लिमिटेड बनाम श्री पद्मनाभ टी.जी., सीआरएल.पी. क्रमांक 1291/2023।.**

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि विपक्षी संख्या-2 एवं 3 द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र किसी शपथपत्र से समर्थित नहीं था। यह विधिक रूप से अनिवार्य है कि किसी वाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु प्रस्तुत प्रत्येक प्रार्थना पत्र विधिवत शपथपत्र द्वारा समर्थित हो। अतः केवल इसी आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किए जाने योग्य था। किन्तु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इस अनिवार्य आवश्यकता पर विचार नहीं किया तथा शपथपत्र के अभाव के बावजूद दिनांक 10.10.2025 का विवादित स्थानांतरण आदेश पारित कर दिया। अतः विवादित आदेश अधिकार क्षेत्र से परे, विधि-विरुद्ध तथा विधि की दृष्टि में पूर्णतः अव्यवहार्य है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने **दीपक बाबारिया और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य** (2014) 3 एससीसी 502 मामले के फैसले पर भरोसा व्यक्त किया।

विपक्षी की ओर से प्रस्तुतियाँ

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या-2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के साधारण एवं सामंजस्यपूर्ण पठन से स्पष्ट होता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट से कोई वाद वापस लेने की शक्ति प्राप्त है तथा इस शक्ति की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती कि यह केवल उन्हीं वादों तक सीमित है जिन्हें उसन्े पूर्व में स्वयं उस मजिस्ट्रेट को सौंपा हो। यह भी निवेदन किया गया कि संहिता की योजना, विशेष रूप से धारा 15 दण्ड प्रक्रिया संहिता, से स्पष्ट है कि सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रशासन्िक एवं पर्यवेक्षणीय अधिकार प्राप्त हैं ताकि वह अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के मध्य न्यायिक कार्य का विनियमन एवं वितरण कर सके। अतः वादों को वापस लेने तथा पुनः आवंटित करने की शक्ति ऐसी वैधानिक पर्यवेक्षणीय शक्ति से स्वतः प्रवाहित होती है और इसका प्रयोग अधिकार क्षेत्र से परे या अवैध नहीं कहा जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने **प्रेम नारायण सिंह बनाम रामराज सिंह एवं अन्य, 1990 (27) एसीसी 430,** पैरा 6 एवं 13 पर भरोसा व्यक्त किया।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या-2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि दिनांक 10.10.2025 का विवादित आदेश न्याय के हित में पारित किया गया ताकि वाद का निष्पक्ष एवं उचित निर्णय सुनिश्चित किया जा सके।यह तर्क दिया गया कि स्थानांतरण प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र का संलग्न न होना केवल एक सुधार योग्य त्रुटि है और इससे कार्यवाही स्वतः अवैध नहीं हो जाती, विशेषकर तब जबकि इससे आवेदक को कोई वास्तविक क्षति नहीं पहुँची हो। यह भी निवेदन किया गया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

लखनऊ ने वाद के उचित संचालन हेतु अपने पर्यवेक्षणीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग किया था और केवल तकनीकी आधारों पर विवादित आदेश को अधिकार क्षेत्र -विहीन नहीं कहा जा सकता।

9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे तर्क दिया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की गई शक्ति आकस्मिक एवं सहायक प्रकृति की थी तथा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उसका प्रयोग किया गया। अतः विवादित स्थानांतरण आदेश किसी भी प्रकार की अवैधता अथवा विकृति से ग्रस्त नहीं है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अवलोकन

10. न्यायालय ने श्री अमित जायसवाल, श्री अम्बरीश सिंह यादव, आवेदक की ओर से श्री पं. एस. चन्द्रा, श्री दुर्गेश कुमार शुक्ला तथा श्री रविकान्त मिश्र, विपक्षी संख्या-2 एवं 3 की ओर से तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

11. सर्वप्रथम, उस विधिक प्रावधान को उद्धृत करना उपयुक्त होगा जिसके अंतर्गत वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का संरक्षण।

"इस संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायालय की उन अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित नहीं करेगी, जिनका प्रयोग वह इस संहिता के अंतर्गत पारित किसी आदेश को प्रभावी बनाने, किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने अथवा अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे।"

12. उपरोक्त विधिक प्रावधान के आलोक में तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेख के अवलोकन के पश्चात यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान प्रार्थना

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पत्र में विचारणीय प्रश्न मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की उस शक्ति से संबंधित है जिसके द्वारा उसन्े एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में वाद स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया।

13. आगे बढ़ने से पहले, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (जिसे आगे बीएनएसएस, 2023 कहा जाएगा) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे सीआरपीसी, 1973 कहा जाएगा) के उस संबंधित प्रावधान की जांच करना ज़रूरी है, जो विवाद के विषय से जुड़ा है।

सीआरपीसी, 1973 के संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं :-

"धारा 15 .न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना -" *(1) प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के अधीन होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे।*

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, अपने अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता के संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा है।

"धारा 410. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों को वापस लिया जाना " *(1) कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकेगा या किसी मामले को जिसे उसन्े ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया है , वापस मंगा सकेगा और ऐसे मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकेगा , या उस जांच या विचारण के लिए किसी अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकेगा, जो उसकी जांच या विचारण करने लिए सक्षम हो।*

(2) कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को, जो उसन्े धारा 192 की उप-धारा (2) के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया है, वापस मंगा सकेगा और ऐसे मामलों की जांच या विचारण स्वयं कर सकेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

192 .मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना - *(1) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है।*

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित सशक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अपराध का संज्ञान करने के पश्चात्, मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे औ ऐसा मजिस्टेट जांच या विचारण कर सकता है।

407. मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति- *"(1) जब कभी न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि" (क) उसके अधीनस्थ किसी दण्ड न्यायालय में ऋजु और पक्षपात रहित जाँच या विचारण नहीं हो सकेगा; या (ख) किसी असाधारणतः कठिन विधिप्रश्न के उठने की सम्भाव्यता है, या (ग) इस धारा के अधीन आदेश इस संहिता के किसी उपवन्ध द्वारा अपेक्षित है, या पक्षकारों या साक्षियों के लिए साधारणतः सुविधाप्रद होगा, या न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, तब वह आदेश दे सकेगा कि-*

(i) किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जाए जो धारा 197 से धारा 205 तक के (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) अधीन तो अर्हित नहीं है किन्तु ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है:

(ii) कोई विशिष्ट मामला या अपील या मामलों या अपीलों का वर्ग उसके प्राधिकार के अधीनस्थ किसी दण्ड न्यायालय से ऐसे समान वरिष्ठ अधिकारिता वाले किसी अन्य दण्ड न्यायालय को अन्तरित कर दिया जाए;

(iii) कोई विशिष्ट मामला सत्र न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाए, या

(iv) कोई विशिष्ट मामला या अपील स्वयं उसको अन्तरित कर दी जाए, और उसका विचारण उसके समक्ष किया जाए।

(2) उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्यवाही कर सकेगा: परन्तु किसी मामले को एक ही सत्र खंड के एक दण्ड

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

न्यायालय से दूसरे दण्ड न्यायालय को अन्तरित करने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से तभी किया जाएगा जब ऐसा अन्तरण करने के लिए आवेदन सत्र न्यायाधीश को कर दिया गया है और उसके द्वारा नामंजूर कर दिया गया है।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा, जो उस दशा के सिवाय, जब आवेदक राज्य का महाधिवक्ता हो, शपथपत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा।

(4) जब ऐसा आवेदन कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है, तब उच्च न्यायालय उसे निदेश दे सकेगा है कि यह किसी प्रतिकर के संदाय के लिए, जो उच्च न्यायालय उपधारा (7) के अधीन अधिनिर्यात करे, वन्धपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे।

(5) ऐसा आवेदन करने वाला प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति, लोक अभियोजक को आवेदन की लिखित सूचना उन आधारों की प्रतिलिपि के सहित देगा जिन पर वह किया गया है, और आवेदन के गुणागुण पर तब तक कोई आदेश न किया जाएगा, जब तक ऐसी सूचना के लिए दिये जाने और आवेदन की सुनवाई के बीच कम से कम चौबीस घण्टे न बीत गए हों।

(6) जहाँ आवेदन किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला या अपील अन्तरित करने के लिए है, वहाँ यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह आदेश दे सकेगा कि जब तक आवेदन का निपटारा न हो जाए तब तक के लिए अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाहियों, ऐसे निबन्धनों पर, जिन्हें अधिरोपित करना उच्च न्यायालय ठीक समझे, रोक दी जाएंगी:

परन्तु ऐसी रोक धारा 309 के अधीन प्रतिप्रेषण की अधीनस्थ न्यायालयों की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(7) जहाँ उपधारा (1) के अधीन आदेश देने के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है वहाँ, यदि उच्च न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था तो, वह आवेदक को आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशि, जो उस मामले की परिस्थितियों में वह समुचित समझे, प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दें, जिसने आवेदन का विरोध किया था।

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(8) जब उच्च न्यायालय किसी न्यायालय से किसी मामले का अन्तरण अपने समक्ष विचारण के लिए करने का उपधारा (1) के अधीन आदेश देता है तब वह ऐसे विचारण में उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, जिसका मामले का ऐसा अन्तरण न किए जाने की दशा में वह न्यायालय करता। (9) इस धारा की कोई बात धारा 197 के अधीन सरकार के किसी आदेश पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी।

408 .मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की सत्र न्यायाधीश की शक्ति - *(1) जब कभी सत्र न्यायाधीश को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस उपधारा के अधीन आदेश दिया जाए, तब वह आदेश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला उसके सत्र खंड में एक दण्ड न्यायालय से दूसरे दण्ड न्यायालय को अन्तरित कर दिया जाए।*

(2) सत्र न्यायाधीश निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्रवाई कर सकेगा।

(3) धारा 407 की उपधारा (3),(4),(5),(6),(7) और (9) के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के लिए सत्र न्यायाधीश को आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे धारा 407 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उस धारा की उपधारा (7) इस प्रकार लागू होगी, मांनो उसमें आने वाली "राशि" शब्द के स्थान पर "दस हजार रुपए से अनधिक की राशि" शब्द रख दिए गए हैं।

यह ध्यान देना ज़रूरी है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15, 192 और 410, क्रमशः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13, 212 और 450 के समान हैं। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 407 और 408, कुछ बदलावों के साथ क्रमशः बीएनएसएस, 2023 की धारा 447 और 448 के समान हैं; इसलिए उन्हीं प्रावधानों को दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

14. आपराधिक मामलों के अंतरण से संबंधित शक्तियों की योजना विधायिका के आशय को पर्याप्त स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करती है। इन उपबंधों के अधीन, आपराधिक मामलों को अंतरित करने की शक्ति स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय को प्रदान की गई है। वैधानिक ढाँचे के सावधानीपूर्वक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) को आपराधिक मामलों के अंतरण की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। संहिता के अधीन निर्धारित पदानुक्रम एवं अधीनता की व्यवस्था स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ है। यदि विधायिका का आशय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामलों के अंतरण का अधिकार प्रदान करना होता, तो ऐसी शक्ति का स्पष्ट उपबंध विधि में किया गया होता।

15. यह न्यायालय **सुदेश छिकारा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), 2025 एससीसी ऑनलाइन देल. 1641** के निर्णय पर भरोसा करना उपयुक्त समझता है,

"जिसमें न्यायालय ने रेडिकल वर्क्स प्रा.लिमिटेड बनाम श्री पद्मनाभ टी.जी., सीआरएल.पी. क्रमांक 1291/2023, निर्णीत दिनांक 18-04-2023 , स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम वीरेंद्र कुमार जैन, एडवोकेट, 1999 एससीसी ऑनलाइन एमपी 357 तथा चंद्रकांतभाई भाईचंदभाई शर्मा बनाम गुजरात राज्य, 2015 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2891 के निर्णयों का उल्लेख किया तथा यह अभिमत व्यक्त किया कि न्यायालय का दृढ़ मत है कि जब विधायिका ने अपनी बुद्धिमत्ता एवं विवेक का प्रयोग करते हुए मामलों के अंतरण की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा सत्र न्यायालयों को ही प्रदान की है, तब ऐसी शक्ति को अनुमान के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रदान नहीं किया जा सकता। व्याख्या के विधि-सिद्धांत किसी ऐसे उपबंध की व्याख्या की अनुमति नहीं देते जो किसी भी प्रकार से विधायिका की मंशा के प्रतिकूल हो। यदि विधायिका ऐसा करना उचित समझती, तो वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी अंतरण की शक्ति विशेष रूप से प्रदान कर सकती थी"।"

16. इसी प्रकार, **ए. के. सिंह, स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम वीरेंद्र कुमार जैन, एडवोकेट, 1999 एससीसी ऑनलाइन एमपी 357** के मामले में यह अवधारित किया गया है :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

10. "...मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रतीत होता है कि गंभीर अवैधताएँ की हैं; प्रथम, उनके समक्ष प्रस्तुत अंतरण प्रार्थना-पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 के अंतर्गत था। उक्त उपबंध के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता प्रशासन्िक प्रकृति की है। इसका उद्देश्य जिले में उनके अधीन कार्यरत विभिन्न मजिस्ट्रेटों के मध्य मामलों का संतुलित वितरण बनाए रखना है। वह किसी एक मजिस्ट्रेट से मामला वापस लेकर उसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। यह उपबंध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी पक्षकार की शिकायत के आधार पर अंतरण की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं करता। ऐसी स्थिति में व्यथित पक्षकार का उपाय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 408 के अंतर्गत है। वह शक्ति सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाती है। वह अपने सत्र प्रभाग के भीतर किसी एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय को मामला अंतरित कर सकता है, 'जब वह न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसा करना समीचीन समझे।' वह किसी विशिष्ट मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरित कर सकता है। वह अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट पर, हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर अथवा स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर सकता है। अतः यही वह उपबंध है जो उस व्यथित व्यक्ति को उपचार प्रदान करता है, जिसन्े किसी कारणवश किसी विशिष्ट आपराधिक न्यायालय में अपना विश्वास खो दिया हो। उसका उपचार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 के अंतर्गत नहीं है।"

11. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 408 एवं 410 के उपबंधों के इस दायरे को दृष्टिगत रखते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट के विरुद्ध शिकायतों पर आधारित अंतरण प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। उचित मार्ग यह था कि परिवादी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 408 के अंतर्गत सत्र न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए छोड़ दिया जाता।

17. **चंद्रकांतभाई भाईचंदभाई शर्मा बनाम गुजरात राज्य मामले में स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन (रद्द करने की याचिका) नंबर 4884/ 2015** में यह कहा गया है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"16. ".विधानमंडल द्वारा धाराओं के दो सेटों में इस्तेमाल की गई भाषा में स्पष्ट अंतर, उनके तहत दी गई शक्ति की प्रकृति में अंतर को दर्शाता है। मैं नीचे अंतर बताता हूँ:

(i) धारा 406, 407 और 408 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सत्र जज की मामला अंतरण करने की शक्ति का ज़िक्र करते समय "जब भी ऐसा प्रतीत हो" शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। धारा 409, 410 और 411 में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

(ii) धारा 406, 407 और 408 के शीर्षक अंतरण करने की "शक्ति" के इस्तेमाल की बात करते हैं, जबकि धारा 409, 410 और 411 "शक्ति" की बात नहीं करते, बल्कि केवल "वापस लेने" या "वापस बुलाने" का ज़िक्र करते हैं।

(iii) धारा 406, 407 और 408 में "अंतरण करने की शक्ति" का इस्तेमाल किसी "हितबद्ध पक्ष" की अर्ज़ी पर किए जाने की परिकल्पना की गई है (धारा 407 और 408 में निचली अदालत की रिपोर्ट या स्वतः संज्ञान पर भी "अंतरण करने की शक्ति" के इस्तेमाल की परिकल्पना की गई है; और धारा 406 में अटॉर्नी जनरल की अर्ज़ी पर अंतरण की शक्ति के इस्तेमाल की परिकल्पना की गई है)। ये धाराएँ स्पष्ट रूप से अंतरण से पहले सुनवाई की ज़रूरत का संकेत देती हैं। दूसरी ओर, धारा 409, 410 और 411 में रोज़मर्रा के कामकाज में सामान्य तरीके से मामला वापस लेने/वापस बुलाने की शक्ति के इस्तेमाल की परिकल्पना की गई है। इनमें हितबद्ध पक्षों को सुनवाई का कोई मौका देने की परिकल्पना नहीं की गई है।

26. ऊपर दी गई बातों से यह स्पष्ट है कि धारा 406, 407 और 408 के तहत इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति एक न्यायिक शक्ति है, जिसका इस्तेमाल उनमें बताए गए तरीके से किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, धारा 409, 410 और 411 के तहत मामलों को वापस लेने या बुलाने की शक्ति एक प्रशासन्िक शक्ति है, जो संहिता की धारा 192 और 194 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश को सौंपे गए मामलों को स्थानांतरित करने की प्रशासन्िक शक्ति की पूरक है।"

18. इस संदर्भ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सर्कुलर ऑर्डर्स (खंड-II) (जिसमें 31.03.2011 तक जारी सर्कुलर पत्र शामिल हैं) को भी देखा जा सकता है:-

“सीजेएम द्वारा काम का बंटवारा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(i) न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच

सी.एल. नंबर 3/प्रसाशनिक .(बी) दिनांकित 18 मार्च, 1971

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा190 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच काम का बंटवारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए, जो इस मामले में सत्र न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं।"

सी.एल. नंबर 124/प्रसाशनिक .(बी) दिनांकित 30 सितंबर, 1975

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जर दंड प्रक्रिया संहिता की की धारा 15 की उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ भी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की सामान्य देखरेख में काम करना होता है।

सी.एल. नंबर 73/प्रसाशनिक (ए), दिनांकित 19 मई, 1976

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को विशिष्ट और स्थानीय कानूनों के अधीन आने वाले मामलों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अंतरित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, अगर ऐसा पहले से नहीं किया गया है।

सी.एल. नंबर 4/प्रसाशनिक (ए), दिनांकित 21 जनवरी, 1987

जनपद न्यायाधीशों से अनुरोध है कि वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उचित निर्देश जारी करें। ये निर्देश उन कार्यकारी मजिस्ट्रेट के बीच काम के बंटवारे के बारे में होंगे जिन्हें न्यायालय ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) की शक्तियां दी हैं, ताकि वे विशिष्ट और स्थानीय अधिनियम के तहत काम कर सकें।

(ii) सीजेएम और एसीजेएम के बीच बंटवारा

सी.एल. नंबर 198/प्रसाशनिक (ए), दिनांकित 10 दिसंबर, 1976

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जहाँ तक हो सके, आधे अधिकारियों के काम का निरीक्षण खुद करेंगे और बाकी का निरीक्षण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। जनपद न्यायाधीश /मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निरीक्षण नोट्स, निरीक्षण करने वाले अगले अधिकारी को भेजे जाएँगे। अब से सभी जनपद न्यायाधीश, दीवानी काम के अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुंसिफ़ मजिस्ट्रेट के आपराधिक मामलों के काम का भी निरीक्षण करेंगे।

जेल का निरीक्षण सिर्फ़ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेंगे।

पत्राचार का काम, उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन आदि और बयान लेने का काम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटके पास ही रहेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बीच काम का कोई भी बंटवारा या उसमें किया गया कोई भी बदलाव, किए जाने पर जनपद न्यायाधीश की मंज़ूरी लेनी होगी।"

19. यद्यपि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियम बनाने अथवा विशेष आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करती है, तथापि ऐसी शक्तियों का प्रयोग संहिता के उपबंधों के साथ पूर्णतः अनुरूप रहकर ही किया जाना चाहिए। ये प्रशासनिक शक्तियाँ मामलों के अंतरण को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट वैधानिक ढाँचे का न तो अतिक्रमण कर सकती हैं और न ही उसका विस्तार कर सकती हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, वैधानिक प्राधिकार के अभाव में, किसी मामले के अंतरण का आदेश पारित करने का कोई भी प्रयास उसकी अधिकारिता का अतिक्रमण माना जाएगा।

20. वर्तमान वाद में दिनांक 10.10.2025 के आक्षेपित आदेश की वैधता का परीक्षण उपर्युक्त विवेचित विधिक उपबंधों तथा परिपत्रों के आलोक में किया जाना आवश्यक है। यदि उक्त आदेश को प्रशासनिक प्रकृति का माना जाए, क्योंकि इसके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य कार्य का वितरण किया गया है, तो विद्वान मुख्य न्यायिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

मजिस्ट्रेट, लखनऊ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 के परिपत्र (उपर्युक्त) के अनुसार जिला न्यायाधीश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी किन्तु विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों से यह स्पष्ट है कि न तो पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई और न ही विद्वान सत्र न्यायाधीश को इसकी कोई सूचना दी गई। दूसरी ओर, यदि यह माना जाए कि आक्षेपित आदेश न्यायिक पक्ष पर, (जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपनी दिनांक 14.11.2025 की रिपोर्ट में कहा है), आपराधिक वाद संख्या 6148/2022 में प्रस्तुत अंतरण प्रार्थना-पत्र पर पारित किया गया था, तो ऐसा आदेश स्पष्टतः वैधानिक प्राधिकार के अभाव में पारित किया गया होगा और परिणामस्वरूप अधिकारिता के अभाव में पारित आदेश होगा, जो विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आदेश पारित किए जाने से पूर्व उसी अंतरण प्रार्थना-पत्र पर विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा विचार कर उसे अस्वीकार किया जा चुका था, जिसकी उपेक्षा करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

21. उपर्युक्त विचार-विमर्श, उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों तथा संदर्भित वैधानिक उपबंधों एवं परिपत्रों के आलोक में, यह न्यायालय इस सुविचारित निष्कर्ष पर पहुँचता है कि भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 406, 419, 420, 506, 467, 468, 471, 411 एवं 170 के अंतर्गत लंबित प्रकरण में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा दिनांक 10.10.2025 को पारित आक्षेपित अंतरण आदेश विधि के अनुरूप नहीं है। अतः उक्त विवादित अंतरण आदेश निरस्त किए जाने योग्य है तथा वर्तमान याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

22. तदनुसार, दिनांक 10.10.2025 का विवादित आदेश एतदद्वारा निरस्त किया जाता है तथा वर्तमान याचिका **स्वीकार** की जाती है।

23. वर्तमान वाद में उठाए गए प्रश्न के महत्व पर विचार करते हुए तथा इस गंभीर तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकांश जिला न्यायालयों में इस प्रकार की प्रथा का अनुसरण किया जा रहा है, इस न्यायालय के विद्वान रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में एक उपयुक्त परिपत्र जारी करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

(तेज प्रताप तिवारी, न्यायमूर्ति)

फरवरी 05, 2026

मनोज

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।